न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपवास(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः नगेन्द्र मीणा आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 367/2017(CIS 02/18)

राजस्थान राज्य —**परिवादी**

विरूद्ध

महेश पुत्र गल्ला जाति खटीक निवासी जाटव मोहल्ला थाना रूपवास जिला भरतपुर (राज.)

—**अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 325 भा.दं.सं.

उपस्थिति,

सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
श्री पंकज सरस, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।
श्री यतेन्द्र सिंह परमार, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 21.2.2018**

प्रकरण का संक्षेप सार इस प्रकार है कि परिवादी धन्नोराम ने दिनांक 01.10.17 को पुलिस थाना, रूपवास पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उस दिन समय करीब 7.45 एएम पर वह अपने खेत से वापिस आ रहा था कि इतने में ही उसके घर के पास महेश, विनोद, गल्ला, पंकज, नीरज, राधा एक राय मशविरा कर अपने हाथों में लाठी, डण्डा, ईट, पत्थर आदि लेकर उसको पकड कर हमला बोल दिया। उसके साथ बुरी तरह जान से मारने की नीयत से मारपीट की है। वह जैसे तैसे बच बचाकर अपने घर के अन्दर घुस गया तो वहां भी ये लोग घर के अन्दर घुस आये तथा घरेलू सामान को अस्त–व्यस्त कर तोड़फोड़ दिया तथा महेश ने उसको जान से मारने की नीयत से खोपड़ी में चोट मारी है। हल्लाहेल सुनकर बहुत से लोग मौके पर आ गये जिन्होंने सारी घटना देखी है। अभियुक्त पंकज उसके घर से छोटे सन्दूक को बनीयत चोरी उठाकर ले गया है जिसमें करीब पच्चीस हजार रूपये व सोने चांदी के आभू**षण कीमत करीब एक लाख रूपया रखे थे। झगडा करने ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि कल शाम को उसके बच्चे द्वारा** R.Shall **कम्पनी के उधार चल रहे फाईनेंस लौन का तकादा किया था । रिपेार्ट पेश है, उसके शरीर पर आई चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया जावे, कार्यवाही की जावे। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर** प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 475/2017 अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 379 भा.दं.सं. में दर्ज की जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323 325 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया ।

बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त द्वारा आरोप अस्वीकार किया गया एवं अन्वीक्षा चाही गई ।

अभियोजन की ओर से बतौर मौखिक साक्ष्य पी.डब्ल्यू–1 परिवादी धन्नोराम को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चाक एफआईआर प्रदर्शपी–2, नक्शा मौका प्रदर्शपी–3, पुलिस बयान प्रदर्शपी–4, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी–5 को प्रदर्शित करवाया गया । पक्षकारान ने राजीनामा होना जाहिर किया ऐसी स्थिति में सहायक अभियोजन अधिकारी ने अन्य किसी गवाहान को पेश नहीं किया जिस पर साक्ष्य अभियोजन बंद की गई।

अभियुक्त को दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा ।

अतः न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.10.17 को समय 7.45 एएम पर या उसके लगभग स्थान कस्बा रूपवास में परिवादी धन्नोराम को उस दिशा में जाने से निवारित किया जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था तथा आहत धन्नोराम को कुन्दालाय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं आहत धन्नोराम के साथ कुन्दालाय से मारपीट कर उसके चौथी मैटाकारपल बोन का अस्थिभंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की? यदि हाँ तो उसके लिए समुचित दण्ड क्या होगा?''

दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित है, अतः अभियुक्त को दो**षसिद्ध किया जाकर दंडित किया जावे।**

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि परिवादी पक्षद्रोही हुआ है जिसकी साक्ष्य से आरेापित अपराध प्रमाणित नहीं है तथा पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से आरेापित अपराध को साबित करने के लिए केवल मात्र एक गवाह को ही परीक्षित कराया गया है जिसमे पी.डब्ल्यू–1 धन्नोराम ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दीपावली से पहले की बात है, उसके घर के सामने महेश से लडाई हो गई थी। झगडे में धक्कामुक्की हो गई और वह गिर पडा। उसके सिर और हाथ में चोटें आई थीं। यह गवाह अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है और अभियोजन की जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि दिनांक 01.10.17 को झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में पेश की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी–1 का ए से बी भाग सही होना स्वीकार किया। यह बात सही है कि उसकी चोटों का मेडिकल हुआ था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी–1 की कार्यवाही पुलिस पर एवं चाक एफआईआर प्रदर्शपी–2 पर एक्स स्थान पर उसकी

अंगूठा निशानी है। नक्शा मौका प्रदर्शपी–3 पुलिस द्वारा बनाया गया है। उसे मालूम नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्शपी–4 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया। उसको ध्यान नहीं है कि उसका मेडिकल हुआ था या नहीं। उसे बुखार आ रहा था उस समय साक्षी को उसकी एमएलआर प्रदर्शपी–5 दिखाई गई, साक्षी ने कहा कि उसेपता नहीं कि यह एमएलआर हुआ या नहीं। यह सही है कि उनका राजीनामा हो गया है लेकिन बयान झूठे नही हैं। इस गवाह ने अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह के दौरान कथन किया है कि उसका मुल्जिम महेश से राजोनामा हो गया है। उसने अपनी चेाटों के बावत राजीनामा हो गया है। वह मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा हस्तगत प्रकण में सहायक अभियोजन अधिकारी ने अन्य किसी गवाहान को पेश नहीं किया।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण का परिवादी धन्नोराम स्वयं पक्षद्रोही घोषित हुआ है जो गिरने से सिर व हाथ पर चोटें आने का कथन करता है तथा उक्त चोटें मुल्जिम द्वारा कारित की गई हो, ऐसा कोई कथन इस साक्षी ने नहीं किय है। इस गवाह की साक्ष्य से राजीनामा होने का तथ्य जाहिर आया है, ऐसी स्थिति में स्वयं परिवादी की साक्ष्य से अभियुक्त के खिलाफ आरेापित अपराध अंतर्गत धारा 341,323,325 भादंसं का आरेाप प्रमाणित नहीं होता है इसलिए अभियुक्त महेश धारा 341, 323, 325 भादसं के आरेाप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

अतः अभियुक्त महेश पुत्र गल्ला जाति खटीक निवासी जाटव मोहल्ला थाना रूपवास जिला भरतपुर (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भादंसं के आरेाप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। उसके न्यायालय में उपस्थिति बावत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(नगेन्द्र मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रूपवास(भरतपुर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(नगेन्द्र मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रूपवास(भरतपुर)